

अत्यावश्यक
पंचायत आम निर्वाचन, 2026



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार

STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या :-प.नि.30-11 / 2026.....572

पटना, दिनांक 11.2.26

आदेश

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथासंशोधित) की धारा 125(2) एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 (यथासंशोधित) के नियम 29 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2026 एवं आम निर्वाचन के पश्चात पंचायतों में कतिपय कारणों से होने वाले रिक्त पदों के उप निर्वाचन के निमित्त राज्य के प्रत्येक जिला के लिये उस जिला के जिला दंडाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के रूप में संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उस जिला के लिये जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के रूप में पदाभिहित किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त, के आदेश से

11.2.26
सचिव।

ज्ञापांक— प.नि.30-11 / 2026.....572

पटना, दिनांक 11.2.26

प्रतिलिपि:— मुख्य सचिव, बिहार/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला दंडाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

11.2.26
सचिव।

8/5
11/02/2026